



संख्या

5748 / ए-5/181

दिनांक : 24.12.2018

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, पंचम वृत्त, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर मा० अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्र०सं०	परियोजना आई०डी०न०	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	परियोजना की लागत (रु० लाख में)	लेखा शीर्षक सं०
1-	076024	मड़ोला योजना संख्या-4 भाग-2 (विस्तार) मुरादाबाद के सेक्टर-15 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 1200 नग (जी+3) प्रकार के भवनों का निर्माण कार्य।	6181.45	104/03/2018-19

- उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
- प्रशासनिक लेखन कार्य पूर्ण होने की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई.डी.न० के साथ ही संवर्गित किये जायेंगे।
- प्रकल्पन में की गयी दसों के आधार न माना जाय। नियमानुसार ई-निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
- स्वीकृत धनराशि का स्वयं वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत परिशिष्टों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रशस्त धनराशि जिस कार्य/भद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उन्ही कार्य/भद में किया जायेगा।
- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विराश्रुति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से आरूपादित किया जाना प्रस्तावित है।
- खण्ड द्वारा लेबर सेल/जी०एस०टी० की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
- परियोजना का स्वयं स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- कार्य की लागत में आने वाले वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।
- उक्त कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 18 माह में अवश्य पूर्ण करा लिया जाये।
- प्रशस्त परियोजना का सम्बन्धित खण्ड द्वारा रेरा (UPRERA) में पंजीकरण अवश्य करा लिया जाये। भवनों का रेरा में पंजीकरण लाभार्थियों की संख्या के आधार पर घरों में कराया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात कार्य की निविदाएं इस प्रतिबन्ध के साथ आमंत्रित की जायेगी कि पंजीकरण के उपरान्त पात्र लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर निविदाएं स्वीकृत की जाये एवं तदनुसार ही भवनों का निर्माण कराया जाये।

सू०स०

5748 / ए-5/181

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, आवास आयुक्त/अ०आ०आ० एवं सचिव/मुख्य अभियन्ता, उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)/पंचम वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/मुरादाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता(मानवी)/निर्माण खण्ड-25 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/मुरादाबाद।
6. मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. गाई काइल हेतु।

(अनिल कुमार मिश्र)

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

दिनांक: 24.12.2018

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर